स०स०-17/एफ 1-32/2022 - G7(17) बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

रेणु कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में.

सचिव. सतबाहिनी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट पत्राचार का पता-वीर कुँवर सिंह पथ, महाराजगंज रोड, न्यु एरिया, जिला–औरंगाबाद, पिन कोड–824101

पटना, दिनांक :- /८/०/ /२०२४ विषय :- दशरथ प्रसाद रामनंदन पाण्डेय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, एडका कॉलोनी, अम्बा, जिला-औरंगाबाद को डी० फार्म एवं बी० फार्म पाठ्यक्रम संचालन हेतु मान्यता/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सचिव, सतबाहिनी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, औरंगाबाद के पत्रांक– SPCT/2022/034 दिनांक–10.09.2022 द्वारा अभ्यावेदन समर्पित कर उक्त विषयांकित संस्थान में डी० फार्म पाठ्यक्रम के 60 सीटों एवं बी० फार्म पाठ्यक्रम के 100 सीटों पर पाठ्यक्रम संचालन हेतु मान्यता/अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

इस परिप्रेक्ष्य में संस्थान के स्थल निरीक्षण हेतु विभागीय आदेश सं0–634(17) दिनांक–21.06.2023 द्वारा त्रिसदस्यीय जाँच समिति का गठन किया गया था।

जाँच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर बिहार चिकित्सा शिक्षा संस्था (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, 1993 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा निहित प्रावधानों के अधीन दशरथ प्रसाद रामनंदन पाण्डेय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, एडका कॉलोनी, अम्बा, जिला–औरंगाबाद को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया (PCI) के विनियमों / मानकों / प्रावधानों के शर्त्ताधीन सत्र-2023-2024 से डी० फार्म पाठ्यक्रम के 60 सीटों एवं बी० फार्म पाठ्यक्रम के 100 सीटों पर पाठयक्रम शुरू करने हेतू मान्यता/अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate) प्रदान किया जाता है।

विश्वा्सभाजन विशेष कार्य पदाधिकारी

# बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES मीठापुर, पटना-800 001 (बिहार) Tel-0612-2356912, 2356913, Email-registrarbuhs-bih@gov.in

## अधिस्चना

पटना, दिनांक *06/02/2025*-अ.सं.:संबंठ-6144/2024-182 / बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना की तदर्थ संबद्धता समिति की बैठक में विनांक-30.01.2025 को गैर-सरकारी फार्मेसी महाविद्यालय द्वारा संबद्धता की अवधि विस्तार हेतु समर्पित आवेदनों पर सम्यक् विचारापरांत लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित सूची के कॉलम सं0 2 में अंकित सन्न-2023-24 हेतु औपबंधिक संबद्धता प्राप्त गैर-सरकारी फार्मेसी महाविद्यालय को सन्न-2023-24 हेतु अस्थायी संबद्धता प्रदान करते हुए कॉलम सं० 3 में अंकित पाठ्यकम एवं कॉलम 4 में अंकित नामांकन क्षमता के लिए बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से सन्न-2024-25 हेतु संबद्धता का अवधि विस्तार (Renewal/Extension of Affiliation) निम्नांकित नियम एवं शत्तों के अधीन किया जाता है।

SI No	Name of the Pharmacy College	Course	Intake Capacity for 2024-25
1	2	3	4
1	Dashrath Prasad Ramnandan Pandey College of Pharmacy, At Erka Colony, Amba, Aurangabad- 824111	D. Pharm	60

1. अस्थायी संबद्धता/संबद्धता का अवधि विस्तार विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम में निहित प्रावधानों के तहत संशर्त प्रदान की जा रही है।

- 2. अस्थायी संबद्धता/संबद्धता का अवधि विस्तार सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किए जाने एवं अन्य शर्त्ता के अधीन होगी।
- 3. सभी फार्मेसी महाविद्यालय द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एवं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई विल्ली द्वारा मान्यता संबंधी पत्र में अध्यारोपति शत्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- 4. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त सीटों से अधिक नामांकन नहीं लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गई सीटों की संख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में स्वाख्य विभाग, बिहार, पटना/ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या ही मान्य होगी।
- संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को निर्देश दिया जाता है कि नामांकित छात्र—छात्राओं के विश्वविद्यालय में पंजीयन के पूर्व वांछित कागजात/शुल्क विश्वविद्यालय कार्यालय में अचूक रूप से समर्पित कर देंगे।
- 6. विश्वविद्यालय/ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली / स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार आदि द्वारा निर्धारित न्यूनतम आधारभूत संरचना एंव अन्य मापवण्ठों की जॉच हेतु विश्वविद्यालय हारा महाविद्यालय/संस्थान का किसी भी कार्य दिवस को औचक निरीक्षण किया जा सकता है। संबंधित महाविद्यालय / संस्थान को सत्र-2024-25 हेतु प्रदान किया जा रहा संबद्धता का अवधि विस्तार निरीक्षण के फलाफल से आच्छादित होगा।
- 7. महाविद्यालय/संस्थान स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार/बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के नियमों/विनियमों आदि का पालन करने हेतु बाध्य होगा।
- 8. बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधिनियम/परिनियम/विनियम आदि का पालन करना महाविद्यालय/संस्थान के लिए बाध्यकारी होगा।
- 9. महाविद्यालयों / संस्थानों द्वारा विश्वविद्यालय में समर्पित आवेदन पत्र के साथ संलग्न कागजातों को सही मानते हुए औपबंधिक संबद्धता / संबद्धता का अवधि विस्तार किया जा रहा है तथा कागजातों के सही होने की संपूर्ण जवाबदेही सबंधित संस्थान की है। भविष्य में किसी भी समय महाविद्यालयों द्वारा समर्पित कागजातों के सत्यापन में गलत पाए जाने की स्थिति में संबद्धता को वापस ले लिया जाएगा तथा निमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।




10. महाविद्यालय/संस्थानों के द्वारा किसी प्रकार का गलत/भ्रामक सूचना देकर अथवा तथ्य/सूचना छिपाकर औपबंधिक संबद्धता प्राप्त करने पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

कुलपति के आदेशानुसार

(विमलेश कुमार झा) कुलसचिव बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना


ज्ञापांक : संबं.-6144/2024-1821/ पटना, दिनांक <u>06/02/2095</u> प्रतिलिपि-प्राचार्य/निदेशक/सचिव, संबंधित फार्मेसी महाविद्यालय/संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।



बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

-2-

ज्ञापांक : संबं-6144/2024-182/ पटना, दिनांक <u>06/02/2025</u> प्रतिलिपि- माननीय मुख्यमंत्री, बिहार-सह-कुलाधिपति, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विमाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।



बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं--6144/2024-<u>182</u>/ पटना, दिनांक <u>06/02/2025</u> प्रतिलिपि--डीन(अकादमिक)/डीन(फार्मेसी)/डीन(परीक्षा)/परीक्षा नियंत्रक/वित्त पदाधिकारी/ कुलपति के निजी सचिव, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

## बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

## BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

मीठापुर, पटना-800 001 (बिहार) Tel-0612-2356912, 2356913, Email-registrarbuhs-bih@gov.in

#### अधिस्चना

### पटना, दिनांक 30 12 . 20 24

अ.सं.–संब.–6144/2024–...../ बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना की तदर्थ संबद्धता समिति की बैठक में दिनांक–24.12.2024 को गैर–सरकारी फार्मेसी महाविद्यालयों द्वारा संबद्धता हेतु समर्पित आवेदनों पर सम्यक् विचारापरांत लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित सूची के कॉलम सं0 2 में अंकित गैर–सरकारी फार्मेसी महाविद्यालयों को कॉलम सं0 4 में अंकित पाठ्यकम एवं कॉलम 5 में अंकित नामांकन क्षमता के लिए बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से सत्र–2024–25 हेतु औपबंधिक संबद्धता (Provisional Affiliation) निम्नांकित नियम एवं शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

SI.	Name of the Pharmacy Institute	District	Course	Intake Capacity
1	2	3	4	5
1	Dashrath Prasad Ramnandan Pandey College of Pharmacy, Erka Colony, Amba, Distt-Aurangabad-824111	Aurangabad	B. Pharm	60

#### नियम एवं शर्चे -

- 1. औषबंधिक संब**द्धता "Regulation for Provisional Affiliation and Fee for** Affiliation" की धारा 8 में निहित प्राच्धानों के तहन सशर्त प्रदान की जा रही है।
- 2. औपबंधिक संबद्धता संधम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किए जाने एवं धन्य शर्त्तो के अधीन होगी।
- 3. किसी भी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा स्वास्थ्य विभाग, विहार, पटना से मान्यता प्राप्त सीटों से अधिक नामांकन नहीं लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गई सीटों की संख्या में किसी प्रकार की मिन्नता की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या ही मान्य होगी।
- रावपित गहाबिद्यालयों / रांरथानों को निर्वेश विया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित Affiliation Fee और Endowment Fund की राशि विश्वविद्यालय द्वारा माँग किए जाने पर जमा करेंगे।
- संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को निर्देश दियां जाता है कि नामांकित छात्र—छात्राओं के विश्वविद्यालय में पंजीयन के पूर्व वांछित कागजात/शुल्क विश्वविद्यालय कार्यालय में अचूक रूप से समर्पित कर देंगे।
- 6 विश्वविद्यालय / स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार / सक्षम प्राधिकार आदि द्वारा निर्धारित न्यूनतम आधारभूत रारचना एंव अन्य गापदण्ठों की जॉच हेतु विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय / संस्थान का किसी भी कार्य दिवस को औचक निरीक्षण किया जा सकता है।
- 7 महाविद्यालय / संस्थान बिहार सरकार / बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नियमों / विनियमों आदि का पालन करने हेत् बाध्य होगा।
- 8 विदार स्नास्थ्य तिङ्गान तिष्ट्रततिद्वालय, पटना के अभिनियम/परिनियम/विनियम आदि का पालन करना शहाविद्यालय (संस्थान के लिए बाध्यकारी होगा)

- 9 महाविद्यालयों / संरथानों द्वारा विश्वविद्यालय में समर्पित आवेदन पत्र के साथ सलग्न कामजातों का सही मानते हुए औपबधिक सबद्धता / संबद्धता का अवधि विस्तार किया जा रहा है तथा कामजातों के सही होने की संपूर्ण जबाबदेही संबंधित संरथान की है। भविष्य में किसी भी समय महाविद्यालयों द्वारा समर्पित कामजातों के सत्यापन में गलत पाए जाने की स्थिति संबद्धता को वापस ले लिया जाएगा तथा निमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।
- 10 महाविद्यालयों / संस्थानों के द्वारा किसी प्रकार का गलत / भागक सूचना देकर अथवा तथ्य / सूचना छिपाकर औपवंधिक संबद्धता प्राप्त करने पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

विमलेश कुमार विद्वार स्वॉस्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना ज्ञापांक : संबंध-6144/2024-1711 प्रतिलिपि-प्राचार्य / निदेशक / सचिव, संबंधित फार्मेसी महाविद्यालय / संस्थान को सूचनार्थ एवं आवस्यक कायार्थ प्रेषित। विहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना पटना, दिनाक 30.12.2024 ज्ञापांक : संब0-6144/2024-17-


प्रतिलिपि-डीन(अकादमिक)/डीन(आयुष)/डीन(परीक्षा)/डीन(फॉर्मेसी)/परीक्षा नियंत्रक/वित्त पदाधिकारी/ कुलपति के निजी समिव, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

रु स्वांस्थ्यं विज्ञोन विष्ट्रवंविद्यालय, पटना पटना, दिनॉर्क <u>30.12.2024</u> जापांक : संबंध-6144/2024-

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार–सह–कुलाधिपति, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

कुलपति के आदेशानुसार



(स्वास्थ्य एवं परिवार कुल्याण मंत्रालय के अंतर्गत सांविधिक निकाय) मारत सरकार एन बी सी सी सैन्टर, तृतीय तल, प्लॉट नम्बर 2, कॉमुन्युटी सैन्टर, मां आनन्दमयी मार्ग, ओखला, फेस-I, नई दिल्ली-110020 दुरमाष: 011-61299900-03



#### PHARMACY COUNCIL OF INDIA

(Statutory body under Ministry of Health & Family Welfare) Government of India NBCC Centre, 3<sup>rd</sup> Floor, Plot No. 2, Community Centre, <u>Maa Anandmai Marg</u>, <u>Okhla</u>, Phase-<u>I,New</u> Delhi-110020 Telephone No. 011-61299900-03

#### **DECISION LETTER**

Institute Name/Inst ID	Dashrath Prasad Ramnandan Pandey college of Pharmacy / PCI-7431
State	BIHAR
District	<ul> <li>A second sec second second sec</li></ul>
Village/Town/City	Erka
Pin Code	824111
Sir/Madam	

With reference to the subject cited above i am directed to convey the approval of PCI as per Following Details

-					
Course	Name of Affiliation body/University	Decision	Approval Status	Approval Upto	Intake
B.Pharm	Bihar Universityof Health Sciences Mithapur, Patna-800001	B.Pharm Grant approval for 2024-2025 academic session for the conduct of 1st year for 60 admissions for B.Pharm course.	Approved	2024-2025	60
D.Pharm	Bihar Universityof Health Sciences Mithapur, Patna-800001	D.Pharm Grant approval for 2024-2025 academic session for the conduct of 2nd year for 60 admissions for D.Pharm course. Allow 60 admissions in 2024-2025 academic session in 1st year.		2024-2025	60

EC Meeting Number: EC 419 EC Meeting Date: 16 Oct 2024

Communication Date: 30 Oct 2024

For Registrar-cum-Secretary

PCI

Copy to

i) Registrar of the University

ii) Principal of the college

iii) Secretary/Chairman of the Trust/Society

iv) Guard File (PCI)

Note: Validity of the course details may be verified at pcionline.co.in